प्रश्नोतर से संबंधित परिशिष्ट

[29/7/2025]

प्रश्न सं. [क्र. 94]

परिशिष्ट "उन"

विधानसभा आरांकित प्रश्न क्र० – 94

प्रोफार्मा

क०	थाना	वर्ष	सड़क दुर्घटनाएँ	मृत्यु की दुर्घटनाएँ	रिमार्क
01	माखननगर	2015	138	15	-
02	माखननगर	2016	123	15	-
03	माखननगर	2017	124	21	-
04	माखननगर	2018	124	23	-
05	माखननगर	2019	101	29	-
06	माखननगर	2020	73	30	-
07	माखननगर	2021	71	18	-
08	माखननगर	2022	82	27	-
09	माखननगर	2023	81	22	-
10	माखननगर	2024	81	23	-
11	माखननगर	2025 (30 जून तक)	43	14	-
			1041	237	

पुलिस अधीक्षक,
नर्मदापुरम

अनुभाग अधिकारी
मध्य प्रदेश शासन,
गृह (पुलिस) विभाग, मं (1)
मंत्रालय, भोपाल

Scanned with CamScanner

परिशिष्ट - "ब"

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन,भोपाल

क्रमांकःएफ:20–01/2012/1/4 भोपाल,दिनांक 16 जुलाई,2014

प्रति,

समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश ।

विषयः– सड़क दुर्घटना में मृतकों के परिवारजनों तथा घायलों को आर्थिक सहायता में वृद्धि बाबत ।

सन्दर्भः– सामान्य प्रशासन विभाग का पत्र क्र0 एफ–20/1/2007/1/4 दिनांक 25 जुलाई,2009 ।

–0–

सड़क दुर्घटना में मृत व्यक्तियों के परिवारजनों तथा घायलों को आर्थिक सहायता दिये जाने के संबंध में शासन के सन्दर्भित ज्ञाप द्वारा जारी निर्देशों के तहत वर्तमान में मृत व्यक्ति के परिवारजनों को रूपये 10,000/–(रूपये दस हजार) एवं घायलों को रूपये 5,000/–(रूपये पांच हजार) अधिकतम आर्थिक सहायता स्वीकृत करने के निर्देश हैं । राज्य शासन द्वारा पुनर्विचारोपरांत यह निर्णय लिया गया है कि सड़क दुर्घटना में **मृत व्यक्ति** के परिवार और **गंभीर रूप से घायल** होने वाले व्यक्ति को निम्नानुसार आर्थिक सहायता प्रदान की जावे :–

(1) सड़क दुर्घटना में **मृतक** के परिवार को अधिकतन रूपये **15,000/–**(पन्द्राह हजार)

(2) **गंभीर रूप से घायल** होने पर अधिकतम रूपये **7,500/–** (रूपये सात हजार पांच सौ)

2. सहायता राशि प्रदान करने के संबंध में पूर्व में जारी निर्देशों के अनुसार आर्थिक सहायता राशि की स्वीकृति संबंधित कलेक्टर द्वारा ही जारी की जायेगी ।

3. उपरोक्त पर होने वाला व्यय मांग संख्या–02–लेखाशीर्ष–2235–

.....2

अनुभाग अधिकारी
मध्य प्रदेश शासन,
गृह (पुलिस) विभाग, बी (1),
मंत्रालय, भोपाल.

Scanned with CamScanner

सामाजिक सुरक्षा और कल्याण कार्यक्रम–800–अन्य व्यय–(1982)–दुर्घटना में मृतकों के परिवार तथा घायलों को वित्तीय सहायता–42–सहायक अनुदान –007–अन्य आयोजनेत्तर के अतंर्गत विकलनीय होगा ।

4. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा ।

5. यह अनुमोदन वित्त विभाग के यू0ओ0क्रमांक 363/1685/ब–8/चार/13 दिनांक 21/03/2013 द्वारा प्रदान की गई है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(के0सुरेश)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

क्रमांक:एफ:20–01/2012/1/4
भोपाल,दिनांक 16 जुलाई 2013

प्रतिलिपिः

1. प्रमुख सचिव,म0प्र0 शासन,वित्त विभाग मंत्रालय,
2. महालेखाकार,(लेखा एंव हकदारी)प्रथम ग्वालियर/भोपाल,
3. प्रमुख सचिव,मुख्यमंत्री मंत्रालय भोपाल,
4. शासन के समस्त विभाग,
5. समस्त विभागाध्यक्ष,
6. निज सचिव/निज सहायक मंत्रीगण/राज्यमंत्री गण,म0प्र0शासन,
7. समस्त संभागीय आयुक्त,म0प्र0,
8. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी म0प्र0,
9. मुख्य लेखाअधिकरी,मध्यप्रदेश मंत्रालय,
10. सहायक संचालक,जनसम्पर्क (मंत्रालय प्रकोष्ठ)

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

(आर0एन0चौहान)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन,सामान्य प्रशासन विभाग

अनुभाग अधिकारी
मध्य प्रदेश शासन,
गृह (पुलिस) विभाग, बी (1),
मंत्रालय, भोपाल.

Scanned with CamScanner